

-:: आदेश ::-

उप जिलाधिकारी घनसाली के पत्र संख्या-1006/२0का10(क्षतिपूरक/भूमि हरता0) 2024-25 दिनांक 05 नवम्बर 2024 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, अरथाई खण्ड लोक निर्माण विभाग घनसाली मुख्यालय घुमेटीघार के कार्यालय पत्र के क्रम में विकास खण्ड गिलंगना में मूलगढ़, ठेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढ़ी से पांडव गांव तक विस्तार कार्य के निर्माण हेतु 4.447 हे0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी सिविल भूमि 8.894 हे0 वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	भाग का नाम	पदवी	तहसील	ज0रि0र0खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हे0ग0)	भूमि का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
01	पुण्डोली	भैलवागी	घनसाली	01			उत्तराखण्ड सरकार की वर्ग ३(अ)ड.
02					01	3.764	
03					38	0.014	
04					101	0.264	
05					146	0.040	
06					148	0.063	
07					157	0.266	
08					199	0.181	
09					594	1.410	
10					904	1.100	
11					1189	0.511	
12					1221	1.178	
कुल योग-					267 मध्ये	0.103	8.894 हे0

प्रस्तावित विकास खण्ड गिलंगना में मूलगढ़, ठेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढ़ी से पांडव गांव तक विस्तार कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-2882/XXIII(III)/11-18(120)/2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 पर शासनादेश संख्या-2365/XXIII(III)/13-18 (120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतः शासनादेश संख्या-2173/XXIII(III)/2012-18 (120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी घनसाली के द्वारा प्रस्तावित की गयी मूलगढ़, ठेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढ़ी से पांडव गांव तक विस्तार कार्य के निर्माण हेतु 4.447 हे0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि उपरोक्त खसरा नम्बरों में वर्णित कुल रकबा 8.894 हे0 सिविल भूमि को शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड शासन के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरण की जाती है, तहसीलदार घनसाली तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

(मयूर दीक्षित),
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या- २४/XXVI-30 (2024-2025) दिनांक नई टिहरी २९, नवम्बर 2024।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 02- सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 03- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।
- 04- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 05- नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी।
- 07- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग घनसाली, मुख्यालय घुमेटीघार।
- 08- उप जिलाधिकारी घनसाली।
- 09- तहसीलदार घनसाली।

✓
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।